न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर कोर्ट केम्प रामसर

पीठासीन अधिकारी – श्री ओ.पी.बिश्नोई आर.ए.एस.

<u>राजस्व अपील संख्या 33/2017</u>

<u>अपीलांटस</u>

1. वीरमाराम पुत्र भोमाराम
2. चाम्पाराम पुत्र भोमाराम
3. भूराराम पुत्र भोमाराम
4. नथू बेवा भोमाराम
5. तेजाराम पुत्र भोमाराम के कायम मुकाम
   5/1 चेलाराम पुत्र तेजाराम
   5/2 तोगाराम पुत्र तेजाराम
   5/3 धनाराम पुत्र तेजाराम
   5/4 नायकाराम पुत्र तेजाराम
   5/5 कलाराम पुत्र तेजाराम
   5/6 श्रवणराम पुत्र तेजाराम
   5/7 लेहरी पत्नी तेजाराम

जातियान मेगवाल निवासी हाफीदाणियो की बस्ती तामलियार तहसील रामसर जिला बाड़मेर

बनाम

<u>रेस्पोडेटस</u>

1. चेतनराम पुत्र चीमाराम जाति मेगवाल निवासी हाफी खां का तला तहसील रामसर
2. कबीराराम पुत्र रेशमाराम
3. पपुराम पुत्र रेशमाराम
4. महेन्द्र पुत्र रेशमाराम
5. मुस्मात धापू पत्नी स्वर्गीय रेशमाराम जातियान मेगवाल हाजी हाफीदाणियो की बस्ती तामलियार तहसील रामसर बाड़मेर
6. तहसीलदार रामसर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व आदेश दिनांक 29.11.2010 द्वारा तहसीलदार रामसर

उपस्थित–
1. अपीलांटस सं. 01 व 5/1 उपस्थित।
2. रेस्पोडेंटस संख्या 01 व 03 उपस्थित।
2. रेस्पोंडेंटस की ओर से श्री मदनसिंह भाटी अधिवक्ता उपस्थित।
3. रेस्पोडेंट संख्या 06 की ओर से नायब तहसीलदार उपस्थित।

<u>आदेश</u> दिनांक 06.6.2017

1. संक्षेप में अपीलान्ट की अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांटस व रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 05 की पैतृक संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नंबर 433 रकबा 42

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

बीघा 13 विस्वा खसरा नंबर 440 रकबा 54 बीघा 14 बिस्वा मौजा हाजी हाफिदाणियो का तला तथा खसरा नंबर 338 रकबा 33 बीघा 01 बिस्वा मौजा हाजी खां का तला तहसील रामसर में आई हुई है। उक्त भूमि पर अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस का संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त है तथा पक्षकारान खातेदारान आपसी सहमति से मौके पर अपने–अपने हिस्से के अनुसार विभाजन कर काश्त करते आ रहे है। पक्षकारो द्वारा उक्त संयुक्त खातेदारी भूमियों का बंटवाड़ा कब्जा काश्त अनुसार करने हेतु पटवारी हल्का सेतराउ से सम्पर्क किया एवं विभाजन आवेदन पत्र तैयार करवाकर प्रशासन गांवो के संग अभियान 2010 के दौरानं पेश किया। तहसीलदार रामसर विभाजन आदेश **29.11.2010** को पारित किया गया। उक्त विभाजन आदेश में अपीलांटस के कब्जे की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 433 मौजा हाजी हाफिदाणियो का तला एवं रेस्पोडेंटस 01 के खसरा नंबर 338 मौजा हाजी खां का तला अपीलांट की खातेदारी में दर्ज हो गया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है। अपीलांटस ने अपीलाधीन आदेश का पूर्व में ज्ञान नहीं होने से जानकारी होने की तिथि से अपील को अंदर म्याद सुमार करने का निवेदन किया एवं अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी पेश किये।

2. हमने अपील अपीलांटस दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेंटस को सम्मन जारी किये एवं अपीलाधीन पत्रावली तलब की।
3. पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार "न्याय आपके द्वार" के तहत राजस्व कोर्ट केम्प रामसर में पेश हुई। जिसके लिए पक्षकारान एवं अभिभाषक को नोटिस की तामीली करा दी गई।
4. अपीलांटस एवं रेस्पोडेंट संख्या 01 से 05 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जाहिर किया कि मौजा हाफिदाणियो का तला के खसरा नंबर 433 रकबा 42.13 बीघा भूमि अपीलांटस विरमाराम वगैरहा के नाम तथा मौजा हाजी खां का तला के खसरा नंबर 338 रकबा 33.01 बीघा रेस्पोडेंटस संख्या 01 के नाम भौतिक कब्जे काश्त अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जावें। लोक अदालत की भावना को

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

ध्यान में रखते हुए आपसी सहमति से पक्षकारान के वास्तविक भौतिक कब्जे काश्त अनुसार विभाजन आदेश पारित किये जाने पर उन्हें कोई आपति नहीं है।

5. हमने उभय पक्षो की बहस सुनी। अपीलांटस के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि तहसीलदार रामसर द्वारा अपीलांटस की स्थाई रहवासी ढाणियों व स्थाई पानी के टांके, पशुओं एवं चारे के बाड़ो को अपीलाधीन विभाजन आदेश के जरिये रेस्पोडेंटस संख्या 01 के हक में रख दिये गये, जिससे अपीलांटस के विधिक हक एवं हित इत्यादि प्रभावित हो रहे है। तहसीलदार रामसर द्वारा प्रशासन गांवो के संग अभियान 2010 में किया गया बंटवारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस एवं पक्षकारान कब्जे काश्त अनुसार नहीं है। सर्वप्रथम अपीलान्टस को उक्त विभाजन आदेश का वास्तविक ज्ञान दिनांक 10.4.2017 को हुआ एवं वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर म्याद पेश की गई है। अपीलांटस की अपील स्वीकार कर पक्षकारान के भौतिक कब्जा काश्त अनुसार आराजी का विभाजन आदेश पारित किया जाए।

6. हमने अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 05 के अधिवक्ता के कथन पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली, उस पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांटस ने यह अपील तहसीलदार रामसर द्वारा पारित बंटवाड़ा आदेश दिनांक 29.11.2010 के विरूद्व पेश की है। संख्या 01 से 05 की पैतृक संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नंबर 433 रकबा 42 बीघा 13 विस्वा खसरा नंबर 440 रकबा 54 बीघा 14 बिस्वा मौजा हाजी हाफिदाणियो का तला तथा खसरा नंबर 338 रकबा 33 बीघा 01 बिस्वा मौजा हाजी खां का तला तहसील रामसर में आई हुई है। अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 05 ने अपनी उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु तहसीलदार रामसर के समक्ष आवेदन पत्र मय विभाजन प्रस्ताव पेश किया। तहसीलदार रामसर द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 29.11.2010 को लेकर पक्षकारान के मध्य विवाद बना हुआ है और मौके पर पक्षकारान का बंटवाड़ा अनुसार कब्जा न होकर भिन्न प्रकार से कब्जा है, अर्थात् विभाजन आदेश पक्षकारान के मौजूदा कब्जा काश्त बाई मिटस एवं बाउण्डस के अनुसार नहीं है तथा राजस्थान काश्तकारी नियम 20 व 21 की पालना नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामसर ने विभाजन

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

विलेख स्वीकृत करने से पूर्व रेकर्ड एवं मौके की स्थिति की सही जांच नहीं की, जिसके अभाव में अपीलाधीन आदेश को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अपीलांटस नें अपील के साथ देरी से प्रस्तुत करने बाबत् धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र पेश किया है, जो अपील के तथ्यों को देखते हुए स्वीकार किया जाकर अपील अंदर म्याद सुमार की जाती है।

7. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांटस की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.11.2010 को अपास्त किया जाता है और तहसीलदार रामसर को निर्देश दिये जाते हैं कि पक्षकारान के मौके पर कब्जे काश्त व बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के सिद्वान्त अनुसार खातेदारान की उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी नियम 20 व 21 की पालना करते हुए पुनः विधिवत विभाजन आदेश पारित करें।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

आदेश कोर्ट केम्प रामसर में आज दिनांक 06.6.2017 को सुनाया गया।

अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)